

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./चार/तीन/स.क.वि./2020/ 172

भिलाई दिनांक 19/03/2020

//अधिसूचना//

(वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपत्तिकर के स्व-निर्धारण हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें एवं जोनो का वर्गीकरण)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन छत्तीसगढ़ नगरपालिका(भवनो/भूमियो के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम) नियम, 1997 के अंतर्गत नियम 6 के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में संपत्तिकर के स्वनिर्धारण हेतु संकल्प का अंगीकरण महापौर परिषद् नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 02.03.2020 में पारित किया गया, जिसकी अधिसूचना निगम क्षेत्र में स्थित भवन/भूमि के स्वामियो के जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :-

1. जोनवार भूमियों के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें प्रति वर्गफुट में-

जोन क्रमांक	आवासीय दरें	व्यवसायिक दरें
जोन-1	रु. 10.08 प्रति वर्गफुट	रु. 12.60 प्रति वर्गफुट
जोन-2	रु. 5.04 प्रति वर्गफुट	रु. 6.30 प्रति वर्गफुट
जोन-3	रु. 2.52 प्रति वर्गफुट	रु. 3.78 प्रति वर्गफुट
जोन-4 (औद्यो.)	-	रु. 3.14 प्रति वर्गफुट

2. सम्पत्तिकर निर्धारण के लिए जोन का वर्गीकरण- वर्तमान में प्रचलित संपत्तिकर के लिए आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक के अनुसार कुल 4 (चार) जोन में निर्धारित हैं। तदनुसार जोन का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

जोन-1 (आवासीय)

वार्ड-1 में स्थित अनुष्ठा रेसीडेन्सी, बैंक कालोनी जुनवानी, गांधी नगर जुनवानी, चौहान ग्रीन वेली तथा अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, वार्ड-02 स्मृतिनगर (पूर्व/पश्चिम), चौहान टाउन, सूर्यविहार उसके अनुरूप सभी प्रकार की कालोनीयाँ, वार्ड-03- मोतीलाल नेहरूनगर (पूर्व/पश्चिम), प्रियदर्शनी परिसर (पश्चिम), वार्ड-04-प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व), बी.एस.पी. क्षेत्र के सम्पूर्ण आवासीय सेक्टर क्षेत्र(मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर, रूआबांधा सेक्टर को छोड़कर) एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र। एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में स्थित आवासीय भवन। वार्ड-01 जुनवानी (खम्हरिया) वार्ड-2 पुष्पकनगर, आनंदनगर, त्रिवेणीनगर, माडल टाउन, वार्ड-03- दीक्षित कालोनी, गांधी नगर, वार्ड-04- राधिकानगर, वार्ड-12 कान्द्रेक्टर कालोनी, वार्ड-9 कृष्णा ग्रान्ड सिटी, वार्ड-07- फरीदनगर, अयप्पानगर, शिवाजीनगर, मैत्रीविहार, उल्लास नगर, दुर्गा नगर, कुभेर इनक्लेव आनंदपुरम फेस-2, वार्ड-8 कोहका, सनातन नगर विवेकानंद नगर, शिक्षकनगर, हा0 बोर्ड कालोनी, आनंदपुरम फेस-1, सूर्या रेसीडेन्सी, कोहका, वार्ड-11- अम्बेडकर नगर, गांधी कालोनी, वार्ड-15- वैशालीनगर, वार्ड-10- शांतीनगर, चन्द्रनगर विवेकानंदनगर, राधिका रॉयल अपार्टमेंट, साकेत नगर कोहका वार्ड-14 सुन्दरनगर, रामनगर मुख्य मार्ग, आजाद चौक से गौरव पथ तक बाबादीप सिंह नगर, जवाहर नगर, बसंत विहार, गुरुनानक नगर, वार्ड-16- कैलाशनगर, दलीप परिसर, प्रगतिनगर, श्रीराम हाईट्स, सुन्दरविहार, ए.सी.सी. कर्मचारी कालोनी, स्टील नगर कुरुद, प्रियदर्शनी सोसायटी कुरुद, वार्ड-26-हा0 बोर्ड कालोनी, वार्ड-38-दीनदयालपुरम, शिवाजीनगर वार्ड-32 न्यू खुर्सीपार, एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-1 (व्यवसायिक)

वार्ड-02-स्मृतिनगर मार्केट जुनवानी 100 फीट रोड चौड़ाई सम्मुख मार्ग के व्यवसायिक भवन, जुनवानी चौक से एम.आर.-9 जुनवानी मार्ग नाला मार्ग 150 फीट रोड तक के व्यवसायिक भवन एवं माडल टाऊन नहर से सूर्यविहार चौक 100 फीट रोड तक व्यवसायिक भवन, 60 फीट रोड सेंट्रल एवेन्यू स्मृतिनगर व्यवसायिक भवन, वार्ड-03- नेहरुनगर आवासीय एवं व्यवसायिक मार्केट, जी.ई. रोड गुरुद्वारा 80 फीट रोड मार्ग 80 फीट रोड से के.पी.एस. कास रोड, जी.ई.रोड नेहरु चौक से 80 फीट रोड अग्रसेन चौक होते हुए के.पी.एस. तक के.पी.एस. से सी.एस.ई.बी. आफिस नेहरु नगर वाली रोड पर स्थित मूखण्ड एवं के.पी.एस. से 60 फीट रोड माडल टाऊन (शिवाजी चौक) तक एवं माडल टाऊन शिवाजी चौक से सूर्या अपार्टमेन्ट तक स्थित व्यवसायिक भवन, नेहरु परिसर एवं सम्पूर्ण व्यवसायिक भवन, प्रियदर्शनी परिसर (पश्चिम), दक्षिण गंगोत्री, राधिका नगर राधाकृष्णा मार्केट मुख्य रोड, उत्तर गंगोत्री, आकाश गंगा, शिवनाथ काम्लेक्स, गणेश मार्केट, प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व) में स्थित व्यवसायिक भवन, सम्पूर्ण सुपेला मार्केट जी.ई.रोड से 100 फीट रोड एवं 150 फीट रोड राजेन्द्र चौक तक (पूर्व/पश्चिम) जी.ई. रोड के उत्तर/दक्षिण, निर्मित रोड के आमने सामने स्थित व्यवसायिक भवन (सिरसा रोड), आदर्श मार्केट, महात्मागांधी मार्केट, विजय बसंत, लिंक रोड, मार्केट, जवाहर मार्केट, सर्कुलर मार्केट, ए.बी.सी. मार्केट, रविशंकर शुक्ला मार्केट, जी.ई.रोड से नन्दनी रोड 100 फीट, छावनी ए.सी.सी. रोड तक, 18 नं. रोड (जी.ई.रोड से एम.आर.-9 रोड तक आमने-सामने) स्थित व्यवसायिक भवन, एप्रोच रोड 50 फीट एवं 60 फीट रोड (जी.ई.रोड से गांधी चौक होते हुए सर्कुलर मार्केट तक व्यवसायिक भवन), टी-मार्केट नन्दनी रोड से 100 फीट रोड ए.सी.सी. चौक, जी.ई. रोड से राधिकानगर 60 फीट रोड, भारत माता मार्केट, बी.एस.पी. के समस्त सेक्टर (मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर, रूआबांधा सेक्टर को छोड़कर), हुडको सेक्टर- मार्केट, रविशंकर शुक्ल मार्केट दीनदयाल मार्केट, खुर्सीपार रोड के आमने-सामने स्थित व्यवसायिक भवन, कालीबाड़ी से नन्दनी रोड, गुरुनानक नगर गौरव पथ 80 फीट एवं 100 फीट रोड से छावनी चौक तक स्थित व्यवसायिक भवन, हा0 बोर्ड गौरव पथ 80 फीट रोड से कैलाशनगर तक एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र। जलेबी चौक केम्प 1 से पानी टंकी हनुमान मंदिर तक रोड के किनारे स्थित व्यवसायिक भवन एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में स्थित व्यवसायिक भवन। गोल मार्केट, गुरुनानक मार्केट, श्रीराम मार्केट, न्यू-खुर्सीपार मार्केट, एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, विश्वकर्मा मार्केट, निगम क्षेत्र में स्थित समस्त सिनेमाघर(टाकीज), पांच रास्ता रोड सुपेला।

जोन-2 (आवासीय)

वार्ड क्रमांक-3 कोसा नगर स्थित ई.डब्ल्यू.एस. भवन, आर्यनगर, गांधी नगर जुनवानी, कृपालनगर कोहका, वार्ड-69-70- हुडको कालोनी, वार्ड-19 शास्त्री नगर केम्प-1 स्थित आवासीय भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र(मुख्य रोड छोड़कर)।

जोन-2 (व्यवसायिक)

श्रमिक बस्तियों के मध्य स्थित व्यवसायिक भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3 (आवासीय)

वार्ड-02- इंदिरानगर मॉडल टाउन श्रमिक बस्ती, वार्ड-1 खम्हरिया बस्ती, जुनवानी पुरानी बस्ती, वार्ड-3 कोसानगर, वार्ड-04- कृष्णानगर, संजयनगर, गौतमनगर, भीमनगर, देवांगन पारा, कुम्हारपारा, बलराम चौक, गणेश चौक, लोहारपारा, न्यु कृष्णा नगर, वार्ड-05-राजीवनगर, लक्ष्मीनगर, आदर्शपारा, दुर्गापारा, गौतमनगर, उड़ियापारा, सुपेला, देवांगनपारा सुपेला, वार्ड-06-शंकरनगर, चिंगरीपारा, सुपेला बस्ती, इंदिरानगर, वार्ड-12-पाँच रास्ता कांटेक्टर कालोनी, बाराद्वारी कालोनी, बजरंग चौक सुपेला वार्ड-09-कोहका पुरानी बस्ती, कोहका, झोपड़पारा, वार्ड-07-मुरुम खदान फरीद नगर कोहका, वार्ड-11- अम्बेडकरनगर गंदी बस्ती (अन्दर भाग), वार्ड-14 रामनगर अन्दर भाग, वार्ड-13- राजीव नगर, रामनगर (पश्चिम) भाग "अ", रामनगर

(पश्चिम) भाग "ब", वार्ड-16-कुरुद, हरिजनपारा, गोड़पारा, पुरानी बस्ती, भाठापारा, वार्ड-27-घासीदासनगर, विवेकानंद कालोनी, वार्ड-17 वृन्दानगर, वार्ड-18 प्रेमनगर दुर्गा चौक केम्प-1, वार्ड-19 शास्त्री नगर केम्प-1 स्थित श्रमिक बस्ती, वार्ड-20 प्रगतिनगर केम्प-1, वार्ड-21 सुन्दरनगर केम्प-1, वार्ड-24 शारदापारा गांधी चौक केम्प-2, वार्ड-25 संतोषीपारा केम्प-2, वार्ड-23 रविदासनगर, वार्ड-22 श्यामनगर, वार्ड-28 छावनी, वार्ड-37 चन्द्रशेखर आजादनगर, वार्ड-38 शहीदवीर नारायण सिंह नगर (जी.ई.रोड को छोड़कर) वार्ड-36 खुर्सीपार जोन-1 गौतमनगर, वार्ड-35 खुर्सीपार जोन-2 शास्त्रीनगर, वार्ड-34 खुर्सीपार जोन-2 नेताजी सुभाषवार्ड, वार्ड-30 बालाजीनगर, वार्ड-29 बापूनगर, वार्ड-33 खुर्सीपार वार्ड जोन-3, वार्ड-31 दुर्गा मंदिर, एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र ।

जोन-3 (व्यवसायिक)

जोन-3 के अतर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्र के अंदर भाग में कर रहे व्यवसाय पर जोन-3 के अतर्गत व्यवसायिक दर से गणना की जावेगी।

जोन क्रमांक-4 औद्योगिक :-

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थित औद्योगिक संस्थान एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

3- मोबाईल टावरों एवं भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर अवधारण के संबंध में-

भूमिगत केबल पर संबंधित जोन के अनुसार करो का निर्धारण वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अधिरोपण किया जावेगा।




1. भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर का अवधारण - भूमिगत केबल क्षेत्रफल पर उक्त क्षेत्र के संबंधित सम्पत्तिकर व्यवसायिक जोन के भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अवधारण किया जावेगा।

2. मोबाईल टावर पर सम्पत्तिकर का अवधारण- मोबाईल टावर पर प्रति टावर पचास हजार रु. वार्षिक सम्पत्तिकर का अधिरोपण निगम के सभी क्षेत्र में किया जावेगा। आवासीय ऐसे भवन जिन पर मोबाईल टावर स्थापित हैं उक्त आवासीय भवन के स्वामी को स्वयं के रहवास के अंतर्गत मिलने वाली सम्पत्तिकर पर 50 प्रतिशत छूट की पात्रता नहीं होगी।

3. भवनों की छतों पर लगे हुए होर्डिंग्स पर सम्पत्तिकर का निर्धारण उक्त क्षेत्र के संबंधित सम्पत्तिकर व्यवसायिक जोन के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर देय होगा।

4- शिक्षा उपकर :- शिक्षा उपकर शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जावेगा।

5- समेकितकर :- छत्तीसगढ़ राज्य पत्र रायपुर दिनांक 05.02.2010 के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्र० 633/7703/18/2009-छ०ग० नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र० 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ग),(घ),(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अग्नि कर की समेकित न्यूनतम दरों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। अर्थात् सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाशकर, सामान्य अग्निकर की समेकित न्यूनतम दर सम्पत्तिकर दाता के लिये रु. 50/- प्रतिमाह एवं गैर सम्पत्तिकर दाता के लिये रु. 25/- प्रतिमाह किया गया है। तदनुसार नगर निगम भिलाई में अवधारित किया जावेगा।

6- सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु भवन के निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर भवन की वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें निम्नानुसार हैं :-

वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें (दरें प्रति वर्गफुट)

जोन क.	पक्का भवन (आर.सी.सी. या पत्थर की छत युक्त पक्के भवन)		आंशिक पक्का भवन (सीमेंट या लोहे की चादर/कवेलू(टाईल्स) की छत युक्त पक्के भवन)		कच्चा भवन		खुली भूमि		मुख्य सड़क या बाजार में स्थित भूमि/भवन	
	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.
1.	23.94	52.92	20.16	48.50	13.22	17.00	10.08	12.60	41.58	55.44
2.	16.38	48.50	13.22	44.10	10.08	13.22	5.04	6.30	32.76	52.92
3.	13.86	16.38	10.08	13.86	8.18	10.08	2.52	3.78	26.46	32.76
4. औद्यो. जोन	-	16.38	-	12.60	-	8.82	-	3.14	-	-

7- अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य पर वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र०	अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य	वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें (प्रतिशत में)
1.	कवेलू छत सहित कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक न हो।	संपूर्ण छूट (नियमानुसार समेकित कर देय होगा)
2.	ऐसी सभी भूमि और भवन, जिन पर स्वामित्व या कब्जा शहरी गरीबों का हो तथा जिनका निर्माण शहरी गरीबों के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या नगर पालिक निकाय की किसी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ हो।	संपूर्ण छूट (नियमानुसार समेकित कर देय होगा)
3.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 12000/- तक	6 प्रतिशत
4.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 12001/- से 20000/- तक	8 प्रतिशत
5.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 20001/- से 30000/- तक	10 प्रतिशत
6.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 30001/- से 50000/- तक	12 प्रतिशत
7.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 50001/- से 75000/- तक	15 प्रतिशत
8.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 75001/- से 100000/- तक	18 प्रतिशत
9.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 100001/- से अधिक	20 प्रतिशत

8- छूट - वर्तमान में अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य/देय सम्पत्तिकर पर छूट निम्नानुसार है:-

1. बहुमंजिला भवनों के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर में छूट- यथावत ।
2. भवनों के रख-रखाव के प्रयोजन से कुल वार्षिक भाड़ा मूल्य में पूर्ववत् 10 प्रतिशत की छूट यथावत ।
3. भवन स्वामियों के स्वयं के निवास करने पर देय सम्पत्तिकर में छूट-पूर्ववत् अनुसार स्वयं के रहवास वाले भवन पर भवन स्वामी को कुल देय सम्पत्तिकर में से 50 प्रतिशत तक राशि की छूट देय होगी परन्तु यदि उक्त आवासीय भवन में मोबाइल टावर स्थापित हैं ऐसी दशा में भवन स्वामी को उक्त छूट की पात्रता नहीं रहेगी ।

4	भारत सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिक निकायों की शैक्षणिक संस्थानों, पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 12 की उप-धारा(1) के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान।	संपूर्ण छूट
5	शैक्षणिक संस्थान जो उपरोक्त श्रेणी(4) के अधीन आच्छादित नहीं है।	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का 35) के अनुपालन के अनुपात में, पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अनुपालन की सीमा तक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
6	निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995(1996 का 1) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन	पच्चीस प्रतिशत।
7	नेत्रहीन व्यक्तियों, तथा तलाकशुदा/परित्यक्ता (निराश्रित) महिला के स्वामित्व वाली भूमि और भवन	पचास प्रतिशत।

09- भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वामित्व के भूमियों एवं भवनों का भी वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित दर अनुसार सम्पत्तिकर पुर्ननिर्धारण किया जावेगा।

10- नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा 137 के अंतर्गत छूट- वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सम्पत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियो को निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

- 01 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट।
 - 01 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट।
 - 01 अगस्त 2020 से 30 सितम्बर 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट।
 - 01 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट।
- 11- अधिभार -छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 138(2) की उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निमित्त विहित प्रारूप में एक विवरणी के साथ संपत्तिकर की रकम, निगम द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर से अधिभार जैसा कि निगम द्वारा अवधारित किया जाये, प्रभारित किया जाएगा। भवन स्वामी को वित्त वर्ष 2020-21 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 30 नवम्बर 2020 तक निर्धारित है, परन्तु इसके पश्चात 60 दिनों की विलम्ब की अवधि पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार एवं 60 दिन से अधिक के विलम्ब की अवधि पर 10 प्रतिशत अधिभार देय कुल राशि पर देय होगा तथा वित्त वर्ष 2020-2021 के बाद अर्थात् 31 मार्च 2021 के पश्चात कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त (1). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत - यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्वनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (2). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्न स्तर पर दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारित निर्धारण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करें, तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तथा ऐसे मामलों में जहाँ अंतर दस प्रतिशत


से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच(अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा।

(3). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील मेयर-इन-काउंसिल में होगी :

परन्तु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो।

उपरोक्तानुसार अधिसूचना 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र में स्थित समस्त भवन/भूमि स्वामी/दखलकार पर प्रभावशील होगी।




आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई